न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 135/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1. मंगलसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली		राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 7.2.19

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 32/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 तथा प्रकरण संख्या 872/2016 सरकार बनाम मंगलसिंह में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.12.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना अधिरोपित किया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भी यह अंकित नहीं है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होकर विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त निर्णय की प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की। अतः उपरोक्त समस्त कारणों को दृष्थिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 844 रकबा 0.04 बीघा किस्म बंजड़ की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 844 रकबा 0.04 बीघा किस्म बंजड़ की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी पर अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुआ एवं न ही कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण ही मौजूद नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करता हो तथा न ही ऐसी कोई शहादत उपलब्ध थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा हो, जिसे हटाये जाने के बावजूद अपीलाण्ट द्वारा दुबारा कब्जा किया हो, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि से अपीलाण्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1163 बजरंगा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "सिविल कारवास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रेकार्ड पर प्रस्तुत करने, उसके पश्चात् बेदखली के आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित प्रतिलिपी रेकार्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है और प्रार्थी अतिक्रमी साबित है। जहां तक प्रार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का प्रश्न है, यह उपलब्ध रिकार्ड से साबित नहीं हैं कि उसे पूर्व में कब व किस प्रकार से बेदखल किया गया है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण नहीं है तथा भूमि मोके पर खाली पड़ी है। इस प्रकार जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का किसी भी प्रकार से कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। इस कारण जैर अपील आदेश के जरिये परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक की जाती है तथा प्रकरण संख्या 872/2016 सरकार बनाम मंगलसिंह में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 को सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है तथा शेष बेदखली एवं जुर्माना बाबत आदेश को यथावत रखा जाता हैं। इसी अनुरूप राजस्व अपील संख्या 32/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 को संशोधित किया जाता हैं। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7-2-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली